

वित्तीय समावेशन : कामकाजी और गैर-कामकाजी महिलाओं द्वारा प्लास्टिक मनी के उपयोग का मूल्यांकन

(सागर शहर की महिलाओं के संदर्भ में)

सुजाता परी अहिरवाल

शोधार्थी — वाणिज्य विभाग,

डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, म.प्र.

प्रो.जिनेन्द्र कुमार जैन

प्रोफेसर— वाणिज्य विभाग,

डॉ. हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, म.प्र.

सारांश

भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसका विकास न केवल असमान है बल्कि असतत् भी है। इस अर्थ में असमान है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में विकास के लाभों का वितरण असमान है। विकास के प्रदर्शन में एकरूपता नहीं है, सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी नागरिकों की वित्तीय स्थिति में वृद्धि एवं स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता है। समावेशी विकास को प्राप्त करने में वित्तीय समावेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय समावेशन, व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं एवं उत्पादों के उपयोग को कम लागत पर प्रदान करता है। भारत का बैंकिंग व्यवसाय प्लास्टिक मनी एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं का प्लास्टिक

मनी के उपयोग के प्रति व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन करना है। अध्ययन प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है, आँकड़ों का संग्रह प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है।

संकेत शब्द— वित्तीय समावेशन, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड।

प्रस्तावना—

वित्तीय समावेशन का अर्थ समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना एवं ये सेवाएं लोगों को वहन करने योग्य मूल्य पर भुगतान, बचत, क्रेडिट आदि वित्तीय सेवाएं पहुँचाने का प्रयास है। इसे समावेशी वित्तपोषण भी कहा जाता है।

किसी समाज के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था का सशक्त होना अनिवार्य है और वित्तीय व्यवस्था तभी सशक्त हो सकती है जब देश का हर नागरिक इससे जुड़ा हो। इसी संदर्भ में देश की जनता को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। देश के एक-एक नागरिक को बैंकों के माध्यम से धन की लेन-देन की प्रक्रिया से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है, यह न केवल लोगों की समृद्धि के लिए आवश्यक होता है बल्कि यह राष्ट्र की समृद्धि को भी निर्धारित करता है।

o"K2004 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन की जाँच करने के लिए खान आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के वाणिज्यिक बैंकों को नो- फ़िल बैंक खाता बनाने की अपील की। भारत में वित्तीय समावेशन को एक बैंकिंग नीति के रूप में वर्ष २००५ में के. सी. चक्रवर्ती समीति की रिपोर्ट के बाद अमल में लाना शुरू किया गया। इसके बाद बैंकों ने निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बैंक खाता खोलने की शर्तों को आसान करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

नो-फ़िल बैंक खाता, केवाईसी, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, क्रेडिट कार्ड, वित्तीय समावेशन योजनाएँ, वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के माध्यम से नई प्रणाली की शुरुआत की गई, जहाँ अधिकांश बैंक